

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1949/2011/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

मैसर्स अशोक कुमार मोहन दास, नया बाजार, अजमेर।

.....प्रत्यर्थी।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा,

उप–राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री ओ.पी.माहेश्वरी,

अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक :23.01.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिरापवंचन, अलवर द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2011 के विरुद्ध पेश की गयी है जो अपील संख्या 173/2009-10/वैट/अजमेर के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति ₹57,360/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड-प्रथम, अलवर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 11.10.2009 को ट्रान्सपोर्ट चैंकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे-01/जी.ए.-4182 को नीमराणा के पास जांच हेतु रोका गया। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनीत माल "बाटी कुकर व प्रेशर कुकर" के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा मैसर्स गिल संधु हरियाणा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा जारी बिल्टी संख्या 7898 दिनांक 10-10-2009 मय माल बाटी कुकर एवं प्रेशर कुकर नग 1066 दिल्ली से अजमेर, घोषणा प्ररूप वैट-47 क्रमांक 3859865 एवम् मैसर्स अजन्ता आर्ट्स इंडिया लि0 ए-83/1, जी0टी0 करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा जारी इन्वॉयस क्रमांक 2663/107 दिनांक 10.10.2009 प्रेषिति प्रत्यर्थी व्यवहारी कीमतन ₹1,91,201/- प्रस्तुत किया गया। सशक्त अधिकारी ने परिवहनीत माल बाटी कुकर, प्रेशर कुकर को राज्य सरकार द्वारा जारी

अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के क्रम संख्या 27 पर “मैटेलिक यूटेन्सिल्स” के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तु होना अवधारित कर, परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के संलग्न घोषणा प्ररूप वैट-47 को अपूर्ण होने के कारण वाहन को अधिनियम की धारा 76(5)(ए)के तहत निरुद्ध किया गया। वाहन निरुद्ध की कार्यवाही के पश्चात् प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 12.10.2009 को फैक्स द्वारा जवाब प्रेषित किया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तु “मैटेलिक यूटेन्सिल्स” की श्रेणी में नहीं आने के कारण घोषणा प्ररूप वैट-47 की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त पाये गये अपूर्ण घोषणा प्ररूप वैट-47 के स्थान पर पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप वैट-47 क्रमांक प्रेषित किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, परिवहनीत माल को अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में होना अवधारित कर, पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु अपीलार्थी को प्रेषित की गयी। सशक्त अधिकार द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर परिवहनीत माल को अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में होना अवधारित कर, दस्तावेजों के संलग्न अपूर्ण घोषणा प्ररूप वैट-47 होने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। जिसे अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार कर, आयातित माल कीमतने ₹1,91,201/- पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति ₹57,360/- आरोपित कर आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यक्ति होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की है। कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा प्ररूप वैट-47 अपीलार्थी के समक्ष, जो प्रस्तुत किया गया है, वह बाद की सोची गयी युक्ति है क्योंकि प्रारंभ में दस्तावेज चाहने पर माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट-47 अपूर्ण था जिसमें विभाग द्वारा चाही गयी महत्वपूर्ण सूचनायें/कॉलम्स अंकित नहीं थी एवम् नोटिस जारी होने के

उपरांत प्रस्तुत घोषणा प्ररूप वैट-47 पश्चात्वर्ती सोच के तहत प्रस्तुत किया गया है। गुणावगुण पर कथन किया कि परिवहनीत माल "Metallic Utensils" की श्रेणी में आते हैं क्योंकि "Metallic Utensils" का शाब्दिक अर्थ है धातु से बने हुये बर्तन जिसमें स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर व पीतल के बर्तन सम्मिलित हैं। कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के समस्त प्रकार के बर्तनों को अधिसूचित वस्तु होना घोषित किया गया है एवम् उक्त अधिसूचना के जरिये राज्य सरकार की मंशा केवल मिटटी व चीनी से बने हुये बर्तनों को छोड़कर समस्त प्रकार के धातु से बने हुये बर्तनों को अधिसूचित वस्तु होना घोषित करना है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा अवधारित निष्कर्ष पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित होना प्रकट कर, तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः सशक्त अधिकारी व विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत एवम् उचित होना प्रकट कर, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति केवल उसी स्थिति में ही आरोपित की जा सकती है जबकि धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन हुआ हो। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल से संबंधित समस्त दस्तावेज वक्त जांच प्रस्तुत कर दिये थे, जिन्हें सशक्त अधिकारी द्वारा कहीं पर भी मिथ्या अथवा फर्जी प्रमाणित नहीं किया गया है। कथन किया कि परिवहनीत माल के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे जिन पर समस्त विगत अंकित थी, अपूर्ण घोषणा प्ररूप के संबंध में कथन किया कि यह मात्र एक तकनीकी त्रुटि है, एवम् घोषणा प्ररूप केवल भूल वश भरा जाने से रह गया था एवम् सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप प्रस्तुत कर दिया गया था। इस संबंध में विशिष्ट रूप से कथन किया कि परिवहनीत माल राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के जरिये अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आने के कारण


घोषणा प्ररूप वेट-47 दस्तावेजों के संलग्न करना बाध्यकारी नहीं था। फिर भी सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनीत किये जा रहे बाटी कुकर व प्रेशर कुकर को “Metallic Utensils” अवधारित कर, शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी जिसके पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित कर आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से पारित आदेश को अपास्त किया गया है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में विवादित मुख्य बिन्दु यह है कि क्या बाटी व प्रेशर कुकर “Metallic Utensils” की श्रेणी में आने के कारण अधिसूचित वस्तुओं के तहत आते हैं कि नहीं? “Metallic Utensils” का शाब्दिक अर्थ है धातु से बने हुये बर्तन जिसमें स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर व पीतल के बर्तन सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के समस्त प्रकार के बर्तनों को अधिसूचित वस्तु होना घोषित किया गया है एवम् उक्त अधिसूचना के जरिये राज्य सरकार की मंशा केवल मिटटी व चीनी से बने हुये बर्तनों को छोड़कर समस्त प्रकार के धातु से बने हुये बर्तनों को अधिसूचित वस्तु होना घोषित करना है। उक्त बिन्दु के संबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मैं 0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा०क०३०, 18 टैक्स अपडेट 321 का सम्मान अध्ययन किया गया। उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि “In the present case the goods in movement were carried with the blank declaration form 18 A/18 C which was duly signed by the assessee. Therefore, as stated above, we hold that the goods in movement were carried without the declaration form 18 A/18C . Therefore, section 78(2)(a) stood attracted. Moreover, in the present case, there were no special circumstances indicated by the assessee as to why the forms which were duly signed were not filled in. Therefore, in our view the above judgement in the case of D.P.Metals (supra) has no application to the facts of the present case. As stated, we are concerned with the blank declaration form 18 A/18 C which has travelled with the goods in movement, though signed, was left deliberately blank. The declaration form 18 A/18C is like a return under the Income Tax Act, 1961. The AA completes the assessment on the basis of Form 18 A/18 C . If that form is left blank in all material respects then it is impossible for the AO to arrive at the taxable turnover of the assessee. (पैरा 25 18 टैक्स अपडेट पेज 353) एवम् माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.

सी. 124 के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स बजाज इलैक्ट्रीकल्स, 22 टैक्स अपडेट 159 में प्रतिपादित विधि के आलोक में, वक्त जांच अपूर्ण घोषणा प्ररूप दस्तावेजों के संलग्न होने के कारण एवम् अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत घोषणा प्ररूप पश्चात्वर्ती सोच के तहत प्रस्तुत किया जाना अवधारित किया जाता है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश पुनर्स्थापित (restore) किया जाता है।

7. परिणामतः, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल)
सदस्य